भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *100

29.07.2024 को उत्तर के लिए

केरल में वनाच्छादित क्षेत्र

***100. श्री शफी परम्बिल :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में हुई वृद्धि या कमी का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन पर नजर रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'केरल में वनाच्छादित क्षेत्र' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को उत्तर के लिए श्री शफी परम्बिल द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *100 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) इस मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून वर्ष 1987 से देश के वनाच्छादित क्षेत्र का द्विवार्षिक रूप से आकलन कर रहा है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। गहन प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा समर्थित सुदूर संवेदन और राष्ट्रीय वन सूची से क्षेत्रीय आंकड़ों का उपयोग करके वॉल-टु-वॉल वनाच्छादित क्षेत्र मानचित्रण की प्रक्रिया का कार्य किया जाता है। नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार, केरल राज्य में कुल वनाच्छादित क्षेत्र 21,253 वर्ग किलोमीटर है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में हुए परिवर्तन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

आईएसएफआर वर्ष	**कुल वनाच्छादित क्षेत्र (वर्ग किमी में)**	**गत आकलन की तुलना में परिवर्तन (वर्ग किमी में)**
2017	20,321	-
2019	21,144	823
2021	21,253	109

आईएसएफआर 2017 और आईएसएफआर 2021 के बीच केरल राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में 932 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उक्त राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में हुई वृद्धि का श्रेय बेहतर संरक्षण उपायों, सुरक्षा, वनीकरण कार्यकलापों, वृक्षारोपण अभियानों और कृषि-वानिकी को दिया जा सकता है।

(ग) वनों की सुरक्षा और उनका प्रबंधन करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। सरकार ने देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर पर्याप्त विधिक और विनियामक कार्यढांचे प्रतिपादित किए हैं, जिनके तहत देश के वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन को विनियमित किया जाता है। वनों के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित प्रमुख केंद्रीय स्तर की नीति और अधिनियमों में राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य द्वारा निम्नलिखित संरक्षण उपाय भी किए गए हैं :-

i. वन सीमा का सुदृढ़ीकरण : अधिकांश वन प्रभागों में सीमा स्तंभों के निर्माण सहित वन सीमाओं के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
ii. संरक्षण उपाय : राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण, अवैध प्रवेश और अन्य जैविक हस्तक्षेपों से वन की सुरक्षा करने के लिए तत्परता से प्रयास किए जाते हैं। राज्य वन विभाग के विभिन्न विंगों द्वारा वन संरक्षण कानूनों और नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए अपराध दर्ज करने सहित नियमित गश्त और पहरेदारी करके कड़ी निगरानी रखी जाती है।
iii. पर्यावास सुधार उपाय : प्रत्येक वन प्रभाग/संरक्षित क्षेत्र की अनुमोदित कार्य योजना/प्रबंधन योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार वन की गुणवत्ता और पारिप्रणाली लाभों को बनाए रखने के लिए पर्यावास सुधार कार्यकलाप किए जाते हैं।

(घ) देश में वनाच्छादित क्षेत्र में हुए परिवर्तन का मापन वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के आकलन के माध्यम से किया जाता है, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा गहन प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा समर्थित सुदूर संवेदन के आधार पर द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार वन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहरेदारी, गश्त और एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES) के माध्यम से वनों की निगरानी करती है। राज्य के वनों और वन संसाधनों की सुरक्षा और निगरानी में जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए सहभागी वन प्रबंधन (पीएफएम) का कार्यान्वयन किया जाता है।

*****